

**अनुदान संख्या 39 - पेंशन**  
**GRANT No. 39-PENSIONS**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	35,38,00		
पूरक	Supplementary	28,22,00		
		63,60,00	40,97,52	-22,62,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	7930,76,00		
पूरक	Supplementary	2635,17,00		
		10565,93,00	10729,11,09	+163,18,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूल की गई पेंशनों सहित पेंशनों और उपादानों, पेंशनों के सारांशीकृत मूल्य, भविष्य निधियों को अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम-सरकारी भविष्य निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम और निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के संवितरण और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनभोगियों के चिकित्सा उपचार के लिए था।

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions and Gratuities including Pensions Charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme-Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme, Defined Contribution Pension Scheme and medical treatment of CGHS Pensioners.

2. अनुदान के प्रभारित अंश में, कुल बचतें (2262.48 लाख रु.) फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 2822.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 80 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 36 प्रतिशत थीं।

2. In the charged portion of the grant, the overall savings (Rs.2262.48 lakhs) constituted 80 percent of the supplementary appropriation of Rs.2822.00 lakhs obtained in February, 2009 and 36 percent of the total sanctioned appropriation.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O.	3530.00	4089.62	-2262.38
पू.	S.	2822.00		
		6352.00		

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

(I) 3.00 लाख रु. का विनियोग दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Appropriation of Rs.3.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) "सिविल" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक विनियोग निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary appropriation obtained under "Civil" - remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(का) "उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राज्य सरकारों से वसूली योग्य पेंशन संबंधी प्रभार" - 600.00 लाख रु. के मूल विनियोग को 350.00 लाख रु. पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 950.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 524.40 लाख रु. की बचत (पूरक विनियोग सहित) हुई।

(A) "Pensionary Charges in respect of High Court Judges - Pensionary Charges in respect of High Court Judges recoverable from State Governments" - the original appropriation of Rs.600.00 lakhs was augmented to Rs.950.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.350.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.524.40 lakhs (including supplementary appropriation);

(खा) "भारत के राष्ट्रपति की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ - राष्ट्रपति (परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम के अधीन अन्य हकदारियां" - 175.00 लाख रु. के मूल विनियोग को 55.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 230.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 129.08 लाख रु. की बचत (पूरक विनियोग सहित) हुई।

(B) "Pensions and other retirement benefits of the President of India - Other entitlements under the President's (Emoluments and Pension) Act" - the original appropriation of Rs.175.00 lakhs was augmented to Rs.230.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.55.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.129.08 lakhs (including supplementary appropriation);

(III) "सिविल" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक विनियोग निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary appropriation obtained under "Civil" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) “अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन” - 600.00 लाख रु. के मूल विनियोग को 550.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 1150.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 390.32 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(खा) “पेंशन का सारांशिकृत मूल्य - सामान्य पेंशन” - 700.00 लाख रु. के मूल विनियोग को 300.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 1000.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 226.85 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(गा) “उपदान - सामान्य पेंशन” - 550.00 लाख रु. के मूल विनियोग को 950.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 1500.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 690.66 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(घा) “परिवार पेंशन - परिवार पेंशन” - 300.00 लाख रु. के मूल विनियोग को 400.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 700.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 235.64 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ङ) “छुट्टी नकदीकरण - सामान्य पेंशन” - 500.00 लाख रु. के मूल विनियोग को 200.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 700.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 58.92 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

3. अनुदान के स्वीकृत भाग में, यद्यपि 263517.00 लाख रु. का पूरक अनुदान अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किया गया, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 16318.09 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 163,18,09,424 रु. था)। इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगों को स्वीकृत कराकर विनियमित किए जाने की आवश्यकता होती है।

(A) “Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions” - the original appropriation of Rs.600.00 lakhs was augmented to Rs.1150.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.550.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.390.32 lakhs;

(B) “Commutated Value of Pensions – Ordinary Pensions” - the original appropriation of Rs.700.00 lakhs was augmented to Rs.1000.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.226.85 lakhs;

(C) “Gratuities – Ordinary Pensions” - the original appropriation of Rs.550.00 lakhs was augmented to Rs.1500.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.950.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.690.66 lakhs;

(D) “Family Pensions – Family Pensions” - the original appropriation of Rs.300.00 lakhs was augmented to Rs.700.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.235.64 lakhs; and

(E) “Leave Encashment – Ordinary Pensions” - the original appropriation of Rs.500.00 lakhs was augmented to Rs.700.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.58.92 lakhs.

Savings under the above seven heads were due to receipt of less claims.

3. In the voted portion of the grant, although supplementary grants of Rs.263517.00 lakhs was obtained in October, 2008 and February, 2009, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.16318.09 lakhs (actual excess was Rs.163,18,09,424). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Excess/savings occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O.	789619.00		
पू.	S.	263517.00		
		1053136.00	1069300.20	+16164.20
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare			
		3457.00	3610.89	+153.89

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

(I) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(I) Under Major Head "2071" - "Civil" - excess occurred under the following heads:-

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन" - 22622.02 लाख रु. का अधिक व्यय (139655.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 552255.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - excess of Rs.22622.02 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.552255.00 lakhs including supplementary grant of Rs.139655.00 lakhs);

(खा) "उपदान - सामान्य पेंशन" - 6646.21 लाख रु. का अधिक व्यय (32097.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 116547.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(B) "Gratuities - Ordinary Pensions" - excess of Rs.6646.21 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.116547.00 lakhs including supplementary grant of Rs.32097.00 lakhs);

(गा) "परिवार पेंशन - परिवार पेंशन" - 5478.48 लाख रु. का अधिक व्यय (18445.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 118045.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(C) "Family Pensions - Family Pensions" - excess of Rs.5478.48 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.118045.00 lakhs including supplementary grant of Rs.18445.00 lakhs); and

(II) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - सरकारी भविष्य

(II) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Deposit

निधि - सामान्य भविष्य निधि की निक्षेप सहबद्ध बीमा की संशोधित स्कीम' - 187.20 लाख रु. का अधिक व्यय (3298.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

4. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नानुसार बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) अक्टूबर 2008 और फरवरी, 2009 में मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "पेंशन का सारांशिकृत मूल्य - सामान्य पेंशन" - 75400.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25126.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 100526.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 6836.01 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(खा) "छुट्टी नकदीकरण - सामान्य पेंशन" - 44500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 23673.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 68173.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 4328.45 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(गा) "केंद्रीय सरकार के अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के संबंध में अनुग्रहपूर्वक अदायगियां - सामान्य पेंशन" - 100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 200.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 67.20 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

Linked Insurance Scheme – Government Provident Funds – Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds” – excess of Rs.187.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3298.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to the receipt of more claims.

4. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Supplementary grant obtained in October, 2008 and February, 2009 under Major Head “2071”– “Civil” - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) “Commutated Value of Pensions – Ordinary Pensions” – the original provision of Rs.75400.00 lakhs was augmented to Rs.100526.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25126.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6836.01 lakhs;

(B) “Leave Encashment – Ordinary Pensions” - the original provision of Rs.44500.00 lakhs was augmented to Rs.68173.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.23673.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.4328.45 lakhs;

(C) “Ex-gratia Payments arising out of Special Voluntary Retirement Scheme to Central Government Employees declared as Surplus – Ordinary Pensions” - the original provision of Rs.100.00 lakhs was augmented to Rs.200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.67.20 lakhs;

(घ) “परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान” - सरकारी अंशदान” - 17500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20406.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 37906.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 1921.73 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(ङ) “के. स. स्वा. यो. पेंशनभोगियों का चिकित्सा उपचार - केंद्रीय सरकार पेंशनभोगी” - 46000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 50000.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 182.21 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(III) मुख्य शीर्ष “2071” - “सिविल” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन” - 4665.15 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “विधायकों को पेंशन - संसद सदस्य” - 617.58 लाख रु. की बचत (2780.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 53.58 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत थी।

(D) “Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme – Government Contribution” - the original provision of Rs.17500.00 lakhs was augmented to Rs.37906.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20406.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1921.73 lakhs;

(E) “Medical Treatment of CGHS Pensioners – Central Government Pensioners” - the original provision of Rs.46000.00 lakhs was augmented to Rs.50000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.182.21 lakhs;

(III) Under Major Head “2071” – “Civil” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions (AIS)” - saving of Rs.4665.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs); and

(B) “Pensions to Legislators - Members of Parliament” - saving of Rs.617.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2780.00 lakhs).

Savings under the above seven heads were due to receipt of less claims.

(IV) Under one head saving of Rs.53.58 lakhs occurred constituting 60 percent of the sanctioned provision.